(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 07 / 2025

पंजीकरण संख्या :– 2025 / 20

बउनवान

1. किशनचंद्र आयु 85 वर्ष पुत्र श्री मोतीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम खजूरिया तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां (राज.)
2. केदार लाल आयु 75 वर्ष पुत्र श्री मोतीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम खजूरिया तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां (राज.)

(अपीलांटगण)

बनाम

1. जमनालाल पुत्र बिशनलाल जाति भील निवासी खजूरिया तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ (राज.)
2. हरिसिंह पुत्र बिशनलाल जाति भील निवासी खजूरिया तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ (राज.)
3. कालूलाल पुत्र बिशनलाल जाति भील निवासी खजूरिया तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ (राज.)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबड़ौद जिला बारां (राज.)

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट, 1955 प्रकरण संख्या 01 / 2024 मे पारित निर्णय दिनांक 07.04.2025 की अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट के तहत

उपस्थित :– 1– श्री संजय नागर अभिभाषक (अपीलांटगण)
2– श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक (रेस्पो. क्रम 1 ता 3)
3– पेरोकार सरकार (रेस्पो. क्रम 4)

निर्णय दिनांक 30.05.2025

अपीलांटगण द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद के प्रकरण संख्या 01 / 2024 किस्म प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट बउनवान जमनालाल वगै. बनाम किशनचंद्र मे पारित निर्णय दिनांक 07.04.2025 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्व रेस्पोडेन्टगण के अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट के तहत इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई।

अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 24.04.2024 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। रेस्पो. क्रम 01 ता 03 की ओर से श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक द्वारा उपस्थिति दी गई और अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद से मूल पत्रावली तलब की गई, जो प्राप्त होने पर संलग्न [illegible] की गई। प्रकरण में अपीलांटगण द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया गया जो [illegible] विधिवत रजिस्टर मे प्रकरण संख्या 01 / 2025 पर दिनांक 24.04.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ता 03 की ओर से श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक द्वारा जरिये वकालतनामा उपस्थिति दी गई। रेस्पो. क्रम 04 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.07.22 15:37:47 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांटगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबड़ौद में रेस्पो. क्रम 01 ता 03 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट के तहत अपीलांट क्रम 01 किशनचंद्र पुत्र श्री मोतीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम खजूरिया तहसील छीपाबड़ौद के विरूद्ध पेश किया था। उक्त प्रार्थना पत्र में

अंकित किया कि आराजी खसरा नं. 594/53 रकबा 0.5261 हेक्टर मौजा खजूरिया तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां में रेस्पोडेन्टगण के खातेदारी में दर्ज जमाबंदी चली आ रही है। उक्त वर्णित आराजी खसरा नं. 594/53 रकबा 0.5261 हेक्टर भूमि पर रेस्पोडेन्टगण का हमेशा से कब्जा काश्त रहा है। आषाढ माह सन् 2021 को जब रेस्पोडेन्टगण मजदूरी करने बाहर चले गए थे, तब तक अपीलांट क्रम 01 किशनचंद्र पुत्र श्री मोतीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम खजूरिया तहसील छीपाबड़ौद ने रेस्पोडेन्टगण की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर रेस्पोडेन्टगण की आराजी पर जबरन कब्जा कर लिया है। इस पर तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक, गगचाना के नेतृत्व में टीम गठित कर मौका रिपोर्ट तलब की गई। अपीलांट क्रम 01 किशनचंद्र पुत्र श्री मोतीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम खजूरिया तहसील छीपाबड़ौद को जरिये सम्मन तलब किया गया। उसके द्वारा जरिये अभिभाषक श्री सुरेश कुमार नागर द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिस पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं फरमाया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक, गगचाना से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 17.05.2024 के अनुसार उक्त विवादित भूमि का सीमाज्ञान किया गया जिसके अनुसार उक्त खसरा नं. पडौसी खातेदार श्री केदारलाल पुत्र मोतीलाल जाति धाकड़ निवासी खजूरिया वगैराह के खसरा नं. 54/571 में सम्मिलित होना बताया गया। किशनचन्द्र, व केदार दोनो भाई है जो संयुक्त खातेदारी की आराजी काश्त करते चले आ रहे है। इस पर रेस्पोडेन्टगण द्वारा दिनांक 18.06.2024 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद मे केदार पुत्र मोतीलाल जाति धाकड निवासी खजूरिया तहसील छीपाबडौद को पक्षकार बनाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड पर नही लिया गया ओर पत्रावली मे दिनांक 30.05.2024 को नोटिस जारी होना बताया जाकर दिनांक 18.06.2024 को उपस्थित होने हेतु सम्मन जारी किया गया। जिस पर केदार के हस्ताक्षर भी फर्जी करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। इस प्रकार केदार पुत्र मोतीलाल धाकड निवासी खजूरिया तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ को सुनवाई एवं जवाब देही का अवसर नही मिला है। अपीलांटगण द्वारा रेस्पोडेन्टगण की आराजी पर कोई कब्जा नही किया गया है। हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद मे हमारे शामलाती खातेदारी की भूमि ग्राम खजूरिया तहसील छीपाबडौद मे खसरा नम्बर 52 रकबा 0.3399 हेक्ट., खसरा नम्बर 54/571 रकबा 2.3472 हेक्ट. किता 2 रकबा 2.6871 हेक्ट. भूमि स्थित है। जिसमे अपीलांट किशनचन्द का हिस्सा 1/2 व केदार लाल का हिस्सा 1/2 दर्ज है। जिस पर हम ही वर्षो से काश्त करते चले आ रहे है। जिसका सीमाज्ञान करवाये जाने हेतु हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। किन्तु हमारे खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान नही करवाया गया। हमारे द्वारा रेस्पोडेन्टगण की भूमि पर कब्जा नही किया गया है। अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.04.2025 निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पो. क्रम 01 ता 03 के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि अपीलांटगण द्वारा रेस्पोडेन्टगण की भूमि खसरा नं. 594/53 रकबा 0.5261 हेक्टर ग्राम खजूरिया तहसील छीपाबड़ौद पर कब्जा किया गया है जिसको हटवाया जाकर रेस्पो. क्रम 01 ता 03 के खाते की भूमि उनको संभलाई जाने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 बी के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबडौद में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् सम्मन जारी कर अपीलांटगण को जवाबदेही का अवसर प्रदान किया गया एवं भू–अभिलेख निरीक्षक, गगचाना से मौका रिपो[illegible]कर विधि अनुरूप सही निर्णय पारित किया गया है। यह एक संक्षिप्त प्र[illegible] पर्याप्त है। पटवारी रिपोर्ट में कब्जा किया जाना अंकित किया हुआ है। [illegible] सामने पक्षकार उपस्थित था। हल्का पटवारी ने मौका देखा और पक्षकार को पाबंद किया कि वो एस.सी. की जमीन पर कब्जा नहीं करें। अतः अपीलांटगण द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत [illegible]ल खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.07.22 15:37:47 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद से प्राप्त मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांटगण के अभिभाषक का मुख्य कथन है कि प्रकरण में किशनचंद पुत्र श्री मोतीलाल धाकड़ निवासी खजूरिया तहसील छीपाबड़ौद को जरिये सम्मन तलब किया जाकर सुनवाई एवं जवाबदेही का पूर्ण अवसर दिया गया किंतु उसके भाई केदार पुत्र श्री मोतीलाल धाकड़ निवासी खजूरिया तहसील छीपाबड़ौद

को विधिवत् रूप से पक्षकार बनाया जाकर सम्मन जारी कर सुनवाई एवं जवाबदेही का अवसर दिया जाना चाहिए था जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया ओर निर्णय भी उसी के विरूद्व पारित किया गया है। प्रकरण मे किशनचंद्र द्वारा प्रस्तुत जवाब पर भी कोई गौर नहीं फरमाया गया। अपीलांटगण का रेस्पोडेन्टगण की आराजी पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नहीं है। अपीलांटगण द्वारा अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमि की पैमाईश करवाए जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया किंतु पैमाईश नहीं करवाई गई।

भू–अभिलेख निरीक्षक, गगचाना की मौका रिपोर्ट दिनांक 17.05.2024 के अनुसार उक्त विवादित भूमि का सीमाज्ञान किया गया जिसके अनुसार उक्त खसरा नं. पडौसी खातेदार श्री केदारलाल पुत्र मोतीलाल वगैराह जाति धाकड़ निवासी खजूरिया के खसरा नं. 54/571 में सम्मिलित होना बताया गया। किशनचन्द्र, व केदार दोनो भाई है जो संयुक्त खातेदारी की आराजी काश्त करते चले आ रहे है। इस पर रेस्पोडेन्टगण द्वारा दिनांक 18.06.2024 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद मे केदार पुत्र मोतीलाल जाति धाकड निवासी खजूरिया तहसील छीपाबडौद को पक्षकार बनाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड पर नही लिया गया ओर पत्रावली मे दिनांक 30.05.2024 को नोटिस जारी होना बताया जाकर दिनांक 18.06.2024 को उपस्थित होने हेतु जारी किया गया। इस प्रकार केदार पुत्र मोतीलाल धाकड निवासी खजूरिया तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ को सुनवाई एवं जवाब देही का अवसर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद मे नही मिला है।

रेस्पोडेन्टगण के अभिभाषक का मुख्य कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् सम्मन जारी कर अपीलांटगण को जवाबदेही का अवसर प्रदान किया गया एवं भू–अभिलेख निरीक्षक, गगचाना से मौका रिपोर्ट ली जाकर विधि अनुरूप सही निर्णय पारित किया गया है। यह एक संक्षिप्त प्रक्रिया है जिसमें पटवारी हल्का की रिपोर्ट हीं पर्याप्त है। पटवारी रिपोर्ट में कब्जा किया जाना अंकित किया हुआ है। पटवारी के सामने पक्षकार उपस्थित था। हल्का पटवारी ने मौका देखा और पक्षकार को पाबंद किया कि वो एस.सी. की जमीन पर कब्जा नहीं करें।

प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा उनके न्यायालय के प्रकरण संख्या 01/2024 किस्म प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट बउनवान जमनालाल वगैराह बनाम किशनचंद्र मे निर्णय दिनांक 07.04.2025 को पारित किया गया है। उक्त निर्णय केदार पुत्र मोतीलाल धाकड़ निवासी खजूरिया तहसील छीपाबड़ौद के विरूद्ध पारित किया गया है जबकि उक्त निर्णय में वह अप्रार्थी के रूप में भी अंकित नहीं किया गया है, विधिवत् रूप से पक्षकार नहीं बनाया गया है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा प्रकरण संख्या 01/2024 किस्म प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट बउनवान जमनालाल वगै. बनाम किशनचंद्र मे पारित निर्णय दिनांक 07.04.2025 त्रुटिपूर्ण होने से खारिज किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार, छीपाबडौद को प्रतिप्रेषित/रिमाण्ड किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अपीलांट क्रम 02 केदार पुत्र मोतीलाल धाकड़ निवासी खजूरिया तहसील छीपाबड़ौद को विधिवत् पक्षकार बनाकर सम्मन जारी किए जाकर, सुनवाई एवं जवाबदेही का अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे। अपीलांटगण किशनचंद्र, केदारलाल पुत्रगण मोतीलाल धाकड़ निवासी खजूरिया तहसील छीपाबड़ौद के संयुक्त खातेदारी की भूमि का भी नियमानुसार सीमाज्ञान करवाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.07.22 15:37:47 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को खुले इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ